न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

<u>एफ एस प्रकरण संख्या 04/2019</u>

<u>प्रार्थी</u>
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. हुकमाराम पुत्र शेराराम, जाति पटेल, मै0 मरूधर किराणा स्टोर झंवर जाटावास एसबीआई के सामने गांव झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी – गांव लूणावास खारा, पोस्ट झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, राज0।
2. प्रेमराज पुत्र रामचन्द्र रामावत, मै0 श्री सुमंगल प्रोडक्ट्स एच–230/31 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, II डी सेक्टर, बीकानेर रोड़ नागौर, राजस्थान। निवासी– 150 लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास, मदेरणा कोलोनी, जोधपुर, राजस्थान।

–:<u>आदेश</u> :– दिनांक :– 28.01.2020

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 01.01.209 को श्री रेवत सिंह बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग फर्म मरूधर किराणा स्टोर झंवर जाटावास एसबीआई के सामने गांव झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय दुकान पर विक्रेता एंव मालिक की हैसियत से हुकमाराम पुत्र शेराराम, जाति पटेल निवासी गांव लूणावास खारा, पोस्ट झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर उपस्थित मिले। आम जनता को किराणा सामान व 45 पैकेट प्लेन पोली पेकिंग आदी आम जनता को विक्रय वास्ते पडे थे। प्रत्येक पैकेट में खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (ब्रांड श्रीकमल) के 500 ग्राम प्रति पैकेट थे। उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (ब्रांड श्रीकमल) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 240/– नगद देकर धनिया पाउडर (ब्रांड श्रीकमल) के 500 ग्राम के 4 पैकेट को खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त धनिया पाउडर (ब्रांड श्रीकमल) के 500 ग्राम के 4 पैकेट हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–1959 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–1959 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप

से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एडी–1959 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वंय के द्वारा दिनांक 02.01.2019 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एडी–1959 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 01.01.2019 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 01.01.2019 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 57–58 दिनांक 25.01.2019 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. 03/एक्ट/2019/57 दिनांक 1701.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (ब्रांड श्रीकमल) का नमूना Agmark certification mark Not given. A statement "Coarse ground, Grade standard" Mentioned on the label of sample is unfair trade practice. So the sample contravation of Secton 25(2) of food safety and Standards Act-2006 के कारण Under section 3(1) (zf) (A) (i) (a) and 3(1) (zf) (B) (ii) of food safety and Standards Act-2006 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है।

खाद्य कारोबारकर्ता एवं फर्म के मालिक हुकमाराम पटेल को धनिया पाउडर (ब्रांड श्रीकमल) की खरीद बिल एवं उनकी फर्म के दस्तावेज पेश करने हेतु रजि0 पत्र संख्या 09 दिनांक 19.02.2019 को प्रेषित किया गया। जो मय रजि0 रसीद सलंग्न है। हुकमाराम पटेल द्वारा दिनांक ने दिनांक 25.03.2019 को फर्म के फूड लाईसेन्स की प्रति एवं खरीद बिल की प्रति प्रेषित की। हुकमाराम पटेल द्वारा प्रेषित बिल के आधार पर मै0 सुमंगल प्रोडक्ट्स को सत्यापित कागजात भिजवाने हेतु पत्र क्रमांक 12 दिनांक 01.04.2019 प्रेषित किया गया। जिसके जवाब मै0 श्री सुमंगल

प्रोडक्ट्स द्वारा दिनांक 27.05.2019 को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एनेक्चर ए व बी की प्रति, बेचान बिल की प्रति एवं फूड लाईसेन्स की प्रति प्रेषित की गई।

उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 52 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–1959 एवं खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण पेश करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने बाबत् लिखा गया, प्रति प्रस्तुत की गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दिनांक 21.10.2019 को न्यायालय में उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा लिखित में जवाब पेश कर कथन किया कि खाद्य परीक्षा प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में यह नमूना अपमिश्रित नहीं पाया गया तथा शुद्धता एवं गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरा है। निरीक्षण प्रतिवेदन में यह निष्कर्षित किया गया है कि इस नमूने के लेबल पर ''Coarse ground, Grade standard'' दर्शित किया गया है जो Unfair Trade Practice (अनुचित व्यापारिक व्यवहार) की श्रेणी में आता है तथा खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 24 (2) के उल्लंघनकारी है। इस संबंध में प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी एक लघु उद्योग का संचालन करता है तथा उसे विधिक तकनीकियों की जानकारी नहीं है। यदि न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश प्रदान किये जाते है तो प्रार्थी इसकी शत–प्रतिशत पालना करने की वचनबद्धता देता है। प्रार्थी एक मध्यमवर्ग परिवार स संबंधित है तथा मसालों के निर्माण एवं विक्रय के व्यापार के द्वारा परिवार का पालन–पोषण करता है। यदि प्रार्थी द्वारा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर न्यूनतम जुर्माना अधिरोपित कर अपराध का शमन करवाने की कृपा करावें।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी हुकमाराम पटेल की फर्म मरूधर किराणा स्टोर झंवर जाटावास एसबीआई के सामने गांव झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (ब्रांड श्रीकमल) जिसका खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट एल. एस. 03/एक्ट/2019/57 दिनांक 25.01.2019 के अनुसार धनिया पाउडर (ब्रांड श्रीकमल) मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। उक्त प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय या वितरण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 52 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

आदेश

पत्रावली, एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे का अवलोकन किया तथा जांच रिपोर्ट एल. एस. 03/एक्ट/2019/57 दिनांक 25.01.2019 के अनुसार धनिया पाउडर (ब्रांड श्रीकमल) मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया। मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थीगण ने सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 52 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। अप्रार्थी संख्या 1 हुकमाराम पटेल पुत्र शेराराम पर शास्ती रूपये 10000/– अक्षरे रूपये दस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रेमराज पुत्र रामचन्द्र रामावत पर शास्ती रूपये 20000/– अक्षरे रूपये बीस हजार की आरोपित की जाती है। अप्राथीगण उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2020/ दिनांक :–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. हुकमाराम पुत्र शेराराम, जाति पटेल, मै0 मरूधर किराणा स्टोर झंवर जाटावास एसबीआई के सामने गांव झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी – गांव लूणावास खारा, पोस्ट झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, राज0।
4. प्रेमराज पुत्र रामचन्द्र रामावत, मै0 श्री सुमंगल प्रोडक्ट्स एच–230/31 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, II डी सेक्टर, बीकानेर रोड़ नागौर, राजस्थान। निवासी– 150 लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास, मदेरणा कोलोनी, जोधपुर, राजस्थान।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.02.11 15:39:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: